भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1483
जिसका उत्तर बुधवार 15 मार्च, 2017 को दिया जाना है

**सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की बंद पड़ी इकाइयों की बिक्री**

**1483. श्रीमती अंबिका सोनीः**
**डा. टी. सुब्बारामी रेड्डीः**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार नुकसान में चल रही कंपनियों की अनुकूल बिक्री के नाम के तौर पर सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (सीसीआई) की बंद पड़ी इकाइयों की बिक्री करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना बना ली गई है और कानूनी मुद्दों को सुलझा लिया गया है;

(घ) क्या बिक्री एकल इकाई या इकाइयों के समूह की नीलामी या नीलामी प्रस्ताव के माध्यम से की जाएगी;

(ङ) क्या कामगारों तथा हिस्सेदारों के हितों को ध्यान में रखा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा नुकसान में चल रही इन इकाइयों की बिक्री प्राप्त होने वाली अपेक्षित राशि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**
**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

**(क):** जी, हां। जहां तक सीसीआई का संबंध है, सीसीआई की अप्रचालनरत इकाइयों को पहले सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के भाग के रूप में विनिवेशित किया जाना है।

**(ख):** नीति आयोग ने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की अनुशंसा की है। शुरू में पहले सभी सातों अप्रचालनरत इकाइयों अर्थात 1) मंधार, 2) कुरकुंटा, 3) नयागांव, 4) चर्खी दादरी, 5) दिल्ली ग्राइडिंग इकाई, 6) आदिलाबाद और 7) अकलतारा तथा भटिंडा स्थित प्रारम्भ न की गई इकाई का स्वत्वहरण (डाइवेस्ट) किया जाएगा और तत्पश्चात, प्रचालनरत इकाइयों के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

**(ग):** अन्तर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने प्रथम चरण में विनिवेश के लिए पांच इकाइयों नामतः 1) मंधार, 2) कुरकुंटा, 3) भटिंडा, 4) नयागांव, 5) चर्खी दादरी की पहचान की है और डीजीयू, आदिलाबाद तथा अकलतारा से संबंधित कानूनी मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। आईएमजी के निदेशानुसार, सीसीआई द्वारा संचालन सलाहकार, कानूनी सलाहकार और आस्ति मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

**(घ):** बिक्री की प्रक्रिया डीआईपीएएम के दिशा-निर्देशानुसार होगी।

**(ङ):** विनिवेश के लिए विचाराधीन इकाइयां वर्तमान में बंद हैं और उनमें कामगार नहीं हैं।

**(च):** बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि, अप्रचालनरत इकाइयों की आस्तियों के मूल्यांकन के पश्चात ही ज्ञात होगी।

*****